

रे. प्र. म. 46/2024

| तारीख हुकम | हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज   | नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए |
|------------|---|--|
| 17.6.25    | <p>पत्रावली पेश हुई। तहसीलदार जोधपुर की ओर से रेफरेन्स प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 82 भूराजस्व अधिनियम के तहत पेश किया। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम जाजीवाल धांधला की भूमि के खसरा सं. 83 रकबा 08 बीघा 18 बीस्वा किस्म गै.मु. मंदिर बनाम डोली रघुनाथजी को अप्रार्थीगण पुजारियान द्वारा संवत् 2020 के खाता सं. 81 में उक्त डोली मंदिर की भूमि को अपने नाम दर्ज करवाया गया। राजस्व रेकर्ड में डोली भूमि का उक्त पुजारियान के नाम इन्द्राज विधि विरुद्ध एंव गलत हुआ है। खसरा सं. 83 की किस्म राजस्व रेकर्ड अनुसार गै. मु. डोली है। उक्त भूमि राज.काश्तकारी अधिनियम अनुसार प्रतिबंधित श्रेणी में होने से धारा 46 के तहत किसी अन्य व्यक्ति को हस्तान्तरित नहीं कि जा सकती।</p> <p>अंत में प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया गया है कि प्रार्थी राज्य सरकार जरिये तहसीलदार जोधपुर की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उक्त इन्द्राज निरस्त कर भूमि पुनः मन्दिर के नाम दर्ज करने हेतु रेफरेन्स माननीय राजस्व मण्डल को भिजवाया जावे।</p> <p>रेफरेन्स दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को नोटिस जारी किये गये। पूर्व में तत्कालीन श्रीमान जिला कलक्टर जोधपुर द्वारा प्रकरण दिनांक 19.09.2000 को माननीय राजस्व मण्डल अजमेर को रेफरेन्स किया गया था।</p> <p>सरकारी पैरोकार तथा अप्रार्थी अधिवक्ता को पुनः सुना गया। हमारे द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एंव पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। चूंकि उक्त वादग्रस्त भूमि, भूमि अवाप्ति अधिनियम की धारा 4 के तहत नोटिस जारी कर प्रकरण संख्या 19/1980 में दिनांक 22.12.1988 को केन्द्रीय सरकार के अधीन रक्षा विभाग हेतु अवाप्त कर ली गई है, साथ ही अप्रार्थीगण द्वारा माननीय राज. उच्च न्यायालय में उक्त भूमि के मुआवजा हेतु रिट प्रस्तुत की जिसमें माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 10.05.1991 द्वारा अप्रार्थीगण को मुआवजा प्रदान किये जाने के पक्ष में निर्णय किया गया।</p> <p>अतः वर्तमान में उक्त वादग्रस्त भूमि, भूमि अवाप्ति अधिनियम के तहत अवाप्त कर रक्षा विभाग के नाम दर्ज होने तथा माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार अप्रार्थीगणों द्वारा अवाप्त भूमि का मुआवजा प्राप्त कर लिये जाने की स्थिति में रेफरेंस अस्वीकार किया जाता है।</p> <p>निर्णय आज दिनांक 17.06.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।</p> |  |



अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)  
अपर जिला कलक्टर (द्वितीय)  
जोधपुर